निर्माण-कार्य लेखा : (हम क्या करते हैं ?)

(1) निम्नलिखित के संबंध में अनुभाग को मासिक संकलित लेखा प्राप्त होता है:-

34 – लोक निर्माण कार्य मंडल (सड़क) विभाग

4 - लोक निर्माण कार्य मंडल (सड़क) राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग

6 - लोक निर्माण कार्य मंडल (भवन) विभाग

30 – लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग/पी.एच.ई. विभाग

14 - जल संसाधन विभाग

1 - शहरी कार्य विभाग

1 - संपदा अधिकारी (सामान्य प्रशासन विभाग/जी.ए.डी)

1 – स्वास्थ्य सेवा निदेशालय/डी.एच.एस (इंजीनियरी विंग) विभाग

(2) भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के स्थायी आदेश नियमावली (लेखा एवं हकदारी) के खंड-I के अध्याय 8 एवं 9 में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार, लेखा एवं संकलित लेखा की जांच की जाती है।

(3) वी.एल.सी के कंप्यूटर प्रणाली में लेखा संकलित किया जाता है और मासिक वर्गीकृत सार, समेकित सार तैयार किए जाते हैं।

(4) भाग-1, भाग-2 और भाग-3 के अंतर्गत व्यय एवं प्राप्तियों की राशियों को मासिक सिविल लेखा में सम्मिलित किया जाता है।

(5) प्राप्ति अनुसूचियाँ जैसे सामान्य भविष्य निधि , ऋण, आयकर आदि को पृथक कर के संबंधित हकदारी अनुभागों को प्रेषित किए जाते हैं।

(6) वाउचर अनुक्रमित किए जाते हैं एवं प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय, मेघालय, शिलांग को प्रेषित किया जाता है।

(7) 1. 8782-102-(I) राजकोष/ बैंक में प्रेषण, 2. 8782-102-(II) लोक निर्माण कार्य/ वन चेक, 3. 8443-108- लोक निर्माण कार्य जमा हेतु ब्रॉड शीट/ बड़ा चिट्ठा ।

(8) प्राप्तियों और व्यय का समाधान नियंत्रण अधिकारियों के साथ किया जाता है जैसे (1) मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण कार्य मंडल (सड़कें) विभाग, (2) मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण कार्य मंडल (सड़कें) विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, (3) मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण कार्य मंडल (भवन) विभाग, (4) मुख्य इंजीनियर, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग/पी.एच.ई. (5) मुख्य इंजीनियर, जल संसाधन, (6) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं (इंजीनियरी विंग), (7) संपदा अधिकारी (सामान्य प्रशासन विभाग/जी.ए.डी.) एवं (8) निदेशक, शहरी कार्य विभाग, मेघालय सरकार, शिलांग। राज्य सरकार के आठ विभागों के अंतर्गत कार्यरत मेघालय से 91 निर्माण-कार्य प्रभागों से संकलित लेखा प्राप्त होता है। इन विभागों के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक प्रभाग, प्रारंभिक एवं सहायक लेखा का अनुरक्षण करते हैं एवं राज्य सरकार के वित्त विभाग को प्रस्तुत करने हेतु राज्य के मासिक सिविल लेखा (एम.सी.ए) में सम्मिलित करने हेतु संकलित लेखा, प्रत्येक महीने कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय को प्रस्तुत करते हैं।